

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, मा प्र से
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग
निदेशक, TBDC
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
सभी सिविल सर्जन
सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक
सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

पटना, दिनांक- 18/07/2026

विषय:- राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NIIM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रु० 9,16,26,00,000/- (रुपये नौ अरब सोलह करोड़ छब्बीस लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रु० 6,10,84,00,000/- (रुपये छः अरब दस करोड़ चौरासी लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 15,27,10,00,000/- (रुपये पन्द्रह अरब सताईस करोड़ दस लाख) मात्र में से शेष राशि रु० 1,40,00,00,000/- (रुपये एक अरब चालीस करोड़) मात्र के व्यय हेतु आवंटन ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-153(7ए०), दिनांक-07.05.2026

महाराय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के सबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-153(7ए०), दिनांक-07.05.2026 के द्वारा राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NIIM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रु० 9,16,26,00,000/- (रुपये नौ अरब सोलह करोड़ छब्बीस लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रु० 6,10,84,00,000/- (रुपये छः अरब दस करोड़ चौरासी लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 15,27,10,00,000/- (रुपये पन्द्रह अरब सताईस करोड़ दस लाख) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2- उपर्युक्त व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति के आलोक में विभागीय आवंटनादेश संख्या-158(7ए०), दिनांक-13.05.2026 के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के पत्राक-656, दिनांक-08.05.2026 के द्वारा विवरणी उपलब्ध कराते हुए राशि रु० 13,87,10,00,000/- (रुपये तेरह अरब सतासी करोड़ दस लाख) मात्र के व्यय हेतु आवंटन प्रदान की गयी है ।

3- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-153(7ए०), दिनांक-07.05.2026 के द्वारा स्वीकृत राशि रु० 15,27,10,00,000/- (रुपये पन्द्रह अरब सताईस करोड़ दस लाख) मात्र के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के पत्राक-1735, दिनांक-25.06.2026 के द्वारा विवरणी उपलब्ध कराते हुए वर्तमान में शेष राशि रु० 1,40,00,00,000/- (रुपये एक अरब चालीस करोड़) मात्र के व्यय हेतु आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

4- अतः राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के पत्राक-656, दिनांक-08.05.2026 के आलोक में राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रु0 9,16,26,00,000/- (रुपये नौ अरब सोलह करोड़ छब्बीस लाख) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रु0 6,10,84,00,000/- (रुपये छ अरब दस करोड़ चौरासी लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रु0 15,27,10,00,000/- (रुपये पन्द्रह अरब सताईस करोड़ दस लाख) मात्र में से शेष राशि रु0 1,40,00,00,000/- (रुपये एक अरब चालीस करोड़) मात्र के व्यय हेतु निम्नानुसार राशि आवंटित की जाती है (राशि रुपये में):-

क्र० सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
	गाग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-विकित्वा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड- 20-2210-03-789-0201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063	31 04 राहायक अनुदान वेतन मद	84,00,00,000	56,00,00,000	1,40,00,00,000
	कुल		84,00,00,000	56,00,00,000	1,40,00,00,000

5- राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसिया भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

6- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्राक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

7- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है -

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission (NHM) (Scheme code- 4063) on SNA SPARSH	GOBIHSPARSHBR48NIIM	01585501172	RBI

- बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-7 / बजट-46-12 / 2021(खण्ड-2)- 259 (7A) / स्वा0, पटना, दिनांक- 18/07/2026

प्रतिलिपि— सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न०-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप निदेशक(ए0जे0एस0)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न0-523—सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/श्री शैलेश कुमार, विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी— 07/प्रशाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।